रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN) —73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11, 1983 (ज्येष्ठ 21, 1905)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11, 1983 (JYAISTHA 21, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	455
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	811
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	849
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1249
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2409
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	151
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	255
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	10995
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	373
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	93
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2539
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	101
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	455
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	811
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	849
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1249
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	2409
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	151
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	255
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10995
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	373
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	93
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2539
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	101
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई, 1983

सं० 32-प्रेज/83:—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरान्त) सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लालचुआंगा सायलो, (मरणोपरान्त)
उप निरीक्षक,
विशेष शाखा, सी० आई० डी०, चम्फाई,
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

11 दिसम्बर, 1981, को विशेष शाखा और सी० आई० डी० के उप निरीक्षक लालचुआंगा सायलो ड्यूटी से लौटे और लगभग 8 बजे अपराह्न मिशन वेंग में, अपने घर पहुंचे। उनके साथ विशेष शाखा/सी० आई० डी०, चम्फाई, के उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा और सी० आई० डी० कांस्टेबल हरंगलियाना थे। रात्रि को लगभग 8.30 बजे उनका दरवाजा लगातार खटखटाया गया और उनसे दरवाजा खोलने के लिये मिजो भाषा में कहा गया। मिजो परम्परा के अनुसार दरवाजा खोला जाना था और उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। एम० एन० एफ० के तीन सशस्त्र उग्रपंथी घर में घुस आये और तुरन्त गोली चला दी जिससे उप निरीक्षक सायलो और कांस्टेबल हरंगलियाना गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। दोनों पुलिस कर्मचारियों ने तुरन्त कार्रवाई की और जवाब में गोली चलाई। जख्मों की जरा भी परवाह न करते हुए उप निरीक्षक सायलो और हरंगलियाना ने जवाब में बार-बार गोली चलाई और आक्रमणकारियों को घायल कर दिया। उप निरीक्षक सायलो ने अपनी 6.35 एम० एम० पिस्तौल को अपने से अलग नहीं होने दिया जो झगड़े की जड़ थी। उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा की 6-35 एम० एम० पिस्तौल में कुछ खराबी आ गई और वह गोली नहीं चला सके। यह देखकर कि कांस्टेबल हरंगलियाना के हृदय क्षेत्र में गोली लग चुकी थी, उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा ने उन्हें खींचकर एक कोने में कर दिया। इस कार्रवाई में कांस्टेबल हरंगलियाना की, 38 रिवाल्वर नीचे गिर गई जिसे एक आक्रमणकारी ने उठा लिया और ले गया।

इस घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, ऐजल और पुलिस अधीक्षक सी० आई० डी० को रात्रि के लगभग 9 बजे मिली और वे तुरन्त घटनास्थल की ओर रवाना हुए। उप-निरीक्षक सायलो और कांस्टेबल हरंगलियाना होश में थे हालांकि उनके जख्मों से खूब खून बह रहा था और वे विश्वस्त थे कि उन्होंने एक आक्रमणकारी को घातक रूप से जख्मी किया था और अन्यों को घायल कर दिया था। खून के निशानों का पीछा करते हुए दोनों पुलिस अधीक्षकों ने घटनास्थल से 400 गज की दूरी पर मिजो राष्ट्रीय मोर्चा के एक उग्रपंथी के शव का पता लगाया जो वर्दी में था। उसके मुंह पर गोली लगी थी और उसके साथी उसके शव को खींच कर ले गये थे और बाद में छोड़ दिया था। खून के कुछ और छोटे छोटे निशान देखने में आये जो वर्षा के कारण मिट गये थे। क्षेत्र की गहरी तलाशी की गई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।

दोनों जख्मी पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। उप निरीक्षक सायलो को एक गोली दायीं कण्ठास्थि के नीचे लगी थी और दूसरी गोली उनकी छाती में बायीं ओर लगी और आधा इंच अन्दर घुस गई और उनके फेफड़ों को छेदती हुई दायें कन्धे की हड्डी के क्षेत्र में चली गई थी। जख्मों (दोनों फेफड़ों के नष्ट होने) के कारण 12-12-81 को प्रातः 9-10 बजे उनकी मृत्यु हो गई। सी० आई० डी० कांस्टेबल हरंगलियाना की छाती में बाईं ओर गोली लगी थी गोली उसके हृदय से एक इंच हटकर लगी और बाईं ओर की पसलियों के बीच से निकल गई। उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा सौभाग्यवश जख्मी नहीं हुए।

जब कि एक आक्रमणकारी, जिसकी निश्चित रूप से शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि वह सायंरंग के स्व० जामा का पुत्र एस० एस० रन्ट जोसियाना था, की उसी समय मृत्यु हो गई, उसके दो साथियों के बारे में, विश्वास है कि वे गोलियों से बहुत अधिक घायल हो गये। उनकी अत्यधिक तलाश की जा रही है।

कुछ कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के अपने प्रयास में और अपने साथी पुलिस कर्मचारियों की सहायता करने में, श्री लालचुआंगा सायलो, उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं असाधारण कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 33-प्रेज/83:—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी के नाम तथा पद

श्री हरंगलियाना,
कांस्टेबल,
विशेष शाखा सी० आई० डी०,
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

11 दिसम्बर, 1981, को विशेष शाखा और सी० आई डी के उप निरीक्षक लालचुआंगा सायलो ड्यूटी से लौटे और लगभग 8 बजे अपराह्न मिशन वेंग में अपने घर पहुंचे। उनके साथ विशेष शाखा/सी० आई डी, चम्फाई के उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा और सी० आई० डी० कांस्टेबल हरंगलियाना थे। रात्रि को लगभग 8.30 बजे उनका दरवाजा लगातार खटखटाया गया और उनसे दरवाजा खोलने के लिये मिजो भाषा में कहा गया। मिजो परम्परा के अनुसार दरवाजा खोला जाना था और उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। एम० एन० एफ० के तीन सशस्त्र उग्र पंथी घर में घुस आये और तुरन्त गोली चला दी जिससे उप निरीक्षक सायलो और कांस्टेबल हरंगलियाना गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। दोनों पुलिस कर्मचारियों ने तुरन्त कार्रवाई की और जवाब में गोली चलाई। जख्मों की जरा भी परवाह न करते हुए उप निरीक्षण सायलो और हरंगलियाना ने जवाब में बार-बार गोली चलाई और आक्रमणकारियों को

घायल कर दिया। उप निरीक्षक सायलो ने अपनी 6.35 एम० एम० पिस्तौल को अपने से अलग नहीं होने दिया जो झगड़े की जड़ थी। उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा की 6.35 एम० एम० पिस्तौल में कुछ खराबी आ गई और वह गोली नहीं चला सके। यह देखकर कि कांस्टेबल हरगलियाना के हृदय में गोली लग चुकी थी, उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा ने उन्हें खींचकर एक कोने में कर दिया। इस कार्रवाई में कांस्टेबल हरंगलियाना की 38 रिवाल्वर नीचे गिर गई जिसे एक आक्रमणकारी ने उठा लिया और ले गया।

इस घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक एजल, और पुलिस अधीक्षक सी० आई० डी० को रात्रि के लगभग 9 बजे मिली और वे तुरन्त घटना स्थल की ओर रवाना हुए। उप निरीक्षक सायलो और कांस्टेबल हरंगलियाना होश में थे हालांकि उनके जख्मों से खून खून बह गया था और वे विश्वस्त थे कि उन्होंने एक आक्रमणकारी को घातक रूप से जख्मी किया था और अन्यों को घायल कर दिया था। खून के निशानों का पीछा करते हुए दोनों पुलिस अधीक्षकों ने घटनास्थल से 400 गज की दूरी पर मिजो राष्ट्रीय मोर्चा के एक उग्रपंथी के शव का पता लगाया जो वर्दी में था। उसके मुंह पर गोली लगी थी और उसके साथी उसके शव को खींच कर ले गये थे और बाद में छोड़ दिया था। खून के कुछ और छोटे-छोटे छींटे निशान देखने में आये जो वर्षा के कारण मिट गये थे। क्षेत्र की गहरी तलाशी की गई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।

दोनों जख्मी पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। उप निरीक्षक सायलो को एक गोली बायीं कण्ठास्थि के नीचे लगी थी और दूसरी गोली उनकी छाती में बायीं ओर लगी और आधा इंच अन्दर घुस गई और उसके फेफड़ों को छेदती हुई दायें कन्धे की हड्डी में चली गई थी। जख्मों (दोनों फेफड़ों के नष्ट होने) के कारण 12-12-81 को प्रातः 9.10 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सी० आई० डी० कांस्टेबल हरगलियाना की छाती में बाईं ओर गोली लगी थी। गोली उनके हृदय से एक इंच हटकर लगी और बाईं ओर की पसलियों के बीच से निकल गई। उनकी हालत में सुधार होने लगा। उप निरीक्षक वेंलालचुआंगा सौभाग्यवश जख्मी नहीं हुए।

जबकि एक आक्रमणकारी, जिसकी निश्चित रूप से शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि वह सार्यरंग के स्व० जामा का पुत्र एस० एस० सन्ट, जोलियाना था, की उसी समय मृत्यु हो गई, उसके दो साथियों के बारे में विश्वास है कि वे गोलियों से बहुत अधिक घायल हो गये। उनकी अत्यधिक तलाश की जा रही है।

कुछ कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के अपने प्रयास में, और अपने साथी पुलिस कर्मचारियों की सहायता करने में श्री हरगलियाना, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 33 प्रेज/83—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस की निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक (मरणोपरान्त) सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सूर्यकान्त पाडुरंग चव्हाण, (मरणोपरान्त)
पुलिस कांस्टेबल (सं० 11006/एस०),
बृहत्तर बम्बई पुलिस बल,
शस्त्रहीन शाखा,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

19 दिसम्बर, 1981 को 8 बजे सायं को पुलिस निरीक्षक (अपराध) पुलिस कांस्टेबल 11006/एस० श्री सूर्य कान्त पांडुरंग चव्हाण और स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ मनोज और उसके साथियों के विषय में जांच करने के लिये बाहर गये। मनोज कुमार तोतरया, जुजया उर्फ जोसफ और वीनू सीटी नामक तीन अपराधियों को पुलिस दल ने लगभग सायं 8.30 बजे खोज निकाला। वीनू सीटी ने भागना शुरू किया और एक पुलिस कांस्टेबल उसका पीछा करने लगा और पुलिस निरीक्षक (अपराध) ने कार में उनका पीछा किया लेकिन अभियुक्त हरला सड़क के मकानों में बच कर निकलने में सफल हो गया। श्री चव्हाण और तीन अन्य कांस्टेबलों ने मनोज कुमार और जुजया को घेर लिया जिस पर अपराधियों ने शोर मचाया और शोर सुनने पर घातक हथियारों से लैस 7-8 व्यक्ति वैभव भवन के बाहर आये। इस समय मनोज कुमार ने भागना शुरू कर दिया। समय बरबाद किये बिना और अपने व्यक्तिगत जीवन और सुरक्षा के लिये खतरे के बारे में सोचे बिना कांस्टेबल चव्हाण ने मनोज कुमार का पीछा करना शुरू किया। उन्होंने उसका वैभव भवन गेट से लगभग 200-300 गज की दूरी तक पीछा किया, जहां अन्य अन्य अपराधियों ने उनको घेर लिया और उन पर घातक हथियारों से हमला किया। जब तक पुलिस निरीक्षक (अपराध) रिवाल्वर के साथ वहां पहुंचे आक्रमण कारी पास के मकानों में भाग गये थे।

कांस्टेबल चव्हाण को अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों के कारण उनका देहावसान हो गया।

कुछ खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के प्रयास में श्री सूर्यकान्त पांडुरंग चव्हाण ने उत्कृष्ट वीरता साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 35-प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री गोपाल सिंह,
उप निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
थाना अधिकारी, बिलग्राम,
जिला हरदोई,
उत्तर प्रदेश।

श्री राधे श्याम,
कांस्टेबल,
थाना बिलग्राम,
जिला हरदोई,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

30 अक्तूबर, 1979 को कुख्यात डाकू प्यारे यादव जिला हरदोई, थाना, बिलग्राम, गांव पैवापुर के तिलक सिंह तथा बाबू राम को हत्या करके और उनके मकानों में डकैती डालने की योजना बना रहा था। गांव पैवापुर में गिरोह के नेता प्यारे यादव और उसके साथियों के जमाव के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, श्री गोपाल सिंह ने उपलब्ध पुलिस बल को एकत्र किया और लगभग 15-30 बजे तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बल को दो दलों में विभाजित किया। पहले दल का नेतृत्व श्री गोपाल सिंह ने और दूसरे दल का नेतृत्व उप निरीक्षक राम शंकर पांडेय ने किया। सारे गिरोह को पुलिस ने घेर लिया था। गिरोह का नेता प्यारे यादव घोड़े पर सवार था। पुलिस की अचानक उपस्थिति को देखकर घोड़े पर सवार प्यारे यादव अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ भागने लगा। जैसे ही वे पक्की सड़क पार करने लगे, कुछ ग्रामीण भी अपने लाइसेंस शुदा आग्नेयास्त्रों सहित पुलिस के साथ हो गये। पुलिस और जनता ने मिलकर डाकुओं का पीछा किया। डाकुओं ने गर्रा नदी पार

की और कुछ दूरी पर डाकू पानी पीने के लिये सियराम चमार की झोंपड़ी, जो गांव पुनापुरवा में थी, रुके। श्री गोपाल सिंह ने उस स्थान पर घात लगा कर आक्रमण किया। उन्होंने पुनः डाकुओं को ललकारा और उनको आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। गिरोह के नेता प्यारे यादव और गिरोह के सदस्यों ने पुलिस की चुनौती पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि पुलिस पर अन्धाधुन्ध गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी आत्मसुरक्षा में गोली चलाई। यह गोलाबारी लगभग आधे घण्टे तक चलती रही। श्री गोपाल सिंह और कांस्टेबल राधे श्याम अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए डाकुओं की तरफ बढ़े। जैसे ही वे डाकुओं के निकट पहुंचे, गिरोह के नेता प्यारे यादव ने इस पर दो हथगोले फैंके। कांस्टेबल राधे श्याम को हथगोले फटने से गम्भीर चोटें आईं और वे नीचे गिर पड़े। उन्हें अस्पताल भेजा गया। उप-निरीक्षक गोपाल सिंह को भी उनके बायें हाथ पर चोटें लगीं। पुलिस कर्मचारियों को चोटें लगती देखकर श्री गोपाल सिंह ने गोलाबारी तेज कर दी। गिरोह के नेता प्यारे यादव और दो अन्य बदमाश अचानक भाग खड़े हुए। वे गोलियों से घायल हो गये थे और कुछ दूरी पर वे गिर गये और उनकी मृत्यु हो गई। शेष दो अन्य डाकुओं का पुलिस ने पीछा किया। उनमें से भी एक को गोली से मार दिया गया। डाकुओं के शवों को बाद में (1) प्यारे यादव (2) नन्हें और (3) राज बहादुर के रूप में पहचाना गया। चौथा डाकू शिव कुमार उर्फ पाण्डेय भी 1-11-1979 को गन्ने के खेत में मृत पाया गया।

डाकुओं के साथ हुई झड़प में श्री गोपाल सिंह, उप-निरीक्षक, तथा कांस्टेबल राधे श्याम ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 से दिया जायेगा।

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 1983

सं० 36/प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक (मरणोपरान्त) सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सूरज पाल सिंह, (मरणोपरांत)
नायक,
37वीं बटालियन प्रा० श० पुलिस उत्तर प्रदेश,
कानपुर,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

9 जनवरी, 1981 को मुस्तकीम गिरोह की खोज करते समय श्री नारायण सिंह राणा, एस० ओ० जलालपुर, जिला हमीरपुर, को इस पक्के अपराधी की उसके कुछ सशस्त्र साथियों सहित उसके मकान में उपस्थिति और उनके द्वारा कुछ जघन्य अपराध करने की संभावित योजना के बारे में मालूम हुआ। श्री राणा तुरन्त उपलब्ध सिविल पुलिस, प्रा० स० पु० और कुछ व्यक्तियों के साथ हरसंडी गांव में इस अपराधी के घर की ओर रवाना हुए। श्याम बाबू समेत 3-4 व्यक्ति जो आग्नेय अस्त्रों से लैस थे, घर के बाहर दिखाई दिये। पुलिस दल को देखकर अपराधी श्याम बाबू के घर की तरफ भागे और अन्दर से पुलिस दल पर गोलियां चलाना आरम्भ कर दिया। जब कुछ अपराधी छत से कूदे और उन्होंने बचकर भागने का प्रयत्न किया तो श्री राणा उनमें से एक व्यक्ति से एक राइफल छीनने में सफल हो गये जो बचकर भाग गया। श्याम बाबू ने मकान के अन्दर मोर्चा लगा लिया था और छेदों के अन्दर से गोली चलानी आरम्भ कर दी जो उसने इस प्रयोजन के लिये चारों ओर दीवारों में बना रखे थे। इस प्रकार श्याम बाबू ने अपने मकान के भीतर अच्छी प्रकार से मोर्चा बन्दी की हुई थी और वह घायल हुए बिना पुलिस पर गोलीबारी जारी रख सकता था। 37वीं बटालियन प्रा० सु० पु० कानपुर के नायक श्री सूरजपाल सिंह कोई अन्य विकल्प न देखकर, अपने जीवन को जोखिम में डालकर रेंगते हुए सामने की ओर गये। बन्दूक की गोलियों से वे घायल हो गये और खतरनाक डाकुओं को समाप्त करने के प्रयत्न में वे वीर गति को प्राप्त हुए।

श्री सूरज पाल सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा अति उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जनवरी, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 37-प्रेज/83—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कृष्णकान्त विश्वनाथ कादम,
पुलिस कांस्टेबल,
दादर थाना,
ग्रेटर बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

आदर्श नगर और उसके आस पास के क्षेत्र में हमलों की वारदातों और व्याप्त तनाव की दृष्टि से इस क्षेत्र में कड़ी सतर्कता बरती जा रही थी। 31 अक्तूबर, 1980 को दादर थाने के गुप्तचर दस्ते के 10 कांस्टेबलों ने जो बदमाश उस बस्ती में गड़बड़ करने के लिये आ सकते थे उन को पकड़ने के लिये महाकाली नगर हटमैन्टस और आदर्श नगर क्षेत्र में बैंचों में मोर्चा लगाया। पुलिस कांस्टेबल सं० 11422/एफ० कृष्णकान्त विश्वनाथ कादम ने पुलिस कांस्टेबल सं० 4120/एफ०, बी० बी० बागवे तथा पुलिस कांस्टेबल सं० 10949/एफ० अरुण एस० खानविलकर के साथ महाकाली नगर की हटमैन्टस में मोर्चा लगाया जबकि शेष कांस्टेबल आदर्श नगर के मैदान में ठहरे थे। रात को लगभग-9.45 बजे करीब 40 लड़कों का एक समूह जो तलवारों, गुप्तियों, गण्डासों, फरसों, लोहे की छड़ों, हाकियों और बोतलों जैसे घातक हथियारों से लैस था, महाकाली नगर हटमैन्टस में छिपता हुआ आदर्श नगर की ओर जाता दिखाई दिया। वे पुलिस की उपस्थिति को भांपकर मैदान में रुके। पुलिस कांस्टेबल कादम और दो अन्य कांस्टेबल जिन्होंने महाकाली नगर हटमैन्टस में मोर्चा लगाया था, उन्होंने बदमाशों को ललकारा। बदमाशों ने उनको भयभीत करने के लिये उन पर पहले बोतलों से आक्रमण किया। किन्तु पुलिस कांस्टेबल कादम तथा दो अन्य पुलिस कांस्टेबल पीछे नहीं हटे बल्कि हिंसक भीड़ का सामना करने के लिये खड़े रहे। यह देखकर बदमाशों ने इन तीनों पुलिस कर्मिकों पर तलवारों, पाईपों, लोहे की छड़ों आदि से आक्रमण कर दिया। एक बदमाश पुलिस कांस्टेबल कादम की ओर भागा और उसकी छाती के बायीं ओर तलवार से चोट की। पुलिस कांस्टेबल बागवे ने आक्रमण को रोकने के लिये अपना रिवाल्वर निकाला परन्तु एक अन्य बदमाश ने लोहे की छड़ उनके हाथ पर मारी और उनको गोली चलाने से रोक दिया। अन्य बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल अरुण खानविलकर को घेर लिया तथा उसको भी लोहे की छड़ों से घायल कर दिया। इस बीच पुलिस कांस्टेबल कादम की छाती पर जिस व्यक्ति ने घातक वार किया था उसने पुलिस कांस्टेबल के सिर पर वार करने के लिये दोबारा तलवार उठाई। यद्यपि पुलिस कांस्टेबल कादम गम्भीर रूप से घायल हो गये थे तथापि उन्होंने बड़ी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपना सर्विस रिवाल्वर निकाला और दो राउन्ड गोलियां चलाईं। पुलिस कांस्टेबल कादम द्वारा समयानुसार की गई कार्यवाही से न केवल उनका जीवन बच गया बल्कि उनके साथियों के जीवन की भी रक्षा हो सकी। गोली चलाने का बदमाशों पर इच्छित प्रभाव पड़ा और वे घटनास्थल से भाग गये। इस गोली बारी से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसने पुलिस कांस्टेबल कादम को तलवार से घायल किया था।

पुलिस कांस्टेबल कादम की हमले में दो पसलियां टूट गई और उनको अस्पताल में दाखिल किया गया।

पुलिस कांस्टेबल कृष्णकान्त विश्वनाथ कादम ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, सूझबूझ, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 से दिया जायेगा।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप-सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 मई, 1983

आदेश

सं० 27(26)/83-सी० एल०-2:—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उप धारा (1) के खण्ड (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग की निम्नांकित अधिकारियों को कथित धारा 209-क के उद्देश्यों के लिये प्राधिकृत करती है :—

1. श्री डी० जे० विश्वास, संयुक्त निदेशक निरीक्षण

2. श्री एम० जी० स्वामीनाथन, उप निदेशक निरीक्षण

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम० जी० स्वामीनाथन के पक्ष में कम्पनी लेखापाल के रूप में दिनांक 7 जुलाई, 1981 के आदेश संख्या 27 (26)-81-सी० एल० 2 के अनुसार पहले के प्रेषित प्राधिकरण को निरस्त करती है।

के० आर० ए० एन० अय्यर,
अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई, 1983

संकल्प

लघु उद्योग बोर्ड को पुनर्गठित करने से संबंधित इस कार्यालय के दिनांक 6 मई, 1983 के संकल्प संख्या 1/1/83-लघु उद्योग बोर्ड में क्रम संख्या 73 पर निम्नलिखित को जोड़ा जाए :

क्रम संख्या 73 श्री गालब शर्मा
अध्यक्ष
लघु उद्योग एसोसियेशन
गोविन्दपुरा,
भोपाल।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि संबंधितों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

संकल्प

सं० 1(1)/83-लघु उद्योग बोर्ड:—लघु उद्योग बोर्ड को पुनर्गठित करने से संबंधित इस कार्यालय के दिनांक 6 मई, 1983 के संकल्प संख्या 1/1/83-लघु उद्योग बोर्ड में क्रम संख्या 72 पर निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

क्रम संख्या 72 : श्री राजेन्द्र खैतान,
डब्ल्यू० 58, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2,
नई दिल्ली-110048।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जयदेव वर्मा,
निदेशक (लघु उद्योग बोर्ड)

औद्योगिक विकास विभाग

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1983

सं० एफ० 10(16)/82-ई० डी० पी०:—राष्ट्रपति, लघु उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिये निम्नलिखित चयन समिति का गठन करते हैं :—

1. विकास आयुक्त, लघु उद्योग और पदेन अपर सचिव, अध्यक्ष उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
2. राज्य सरकार के उद्योग विभाग का सचिव, जिसे उद्योग मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाना है। सदस्य
3. राज्य सरकार के उद्योग विभाग का सचिव, जिसे उद्योग मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाना है। सदस्य
4. भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतिनिधि, जिसे उद्योग मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाना है। सदस्य
5. नेशनल लेवल एसोसियेशन/फेडरेशन आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधि, जिसे उद्योग मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाना है। सदस्य

एच० एल० जुनेजा,
उप निदेशक (प्रशासन)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 1983

संकल्प

सं० ई-11017/3/80-रा० भा० कार्यान्वयन:—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के विषय में इस मंत्रालय के 8 सितम्बर, 1982 के संकल्प संख्या ई०-11017/3/80-रा० भा० कार्यान्वयन में वर्तमान क्रम सँख्या 13 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न लिखित प्रविष्टि रखी जाये:—

13 श्री एम० महफ़ा, सदस्य, राज्य सभा— सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा

सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० सुधाकर
संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1983

संकल्प

विषय : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना

सन्दर्भ : संकल्प संख्या एफ० 16-10/44-ई० III, दिनांक 30 नवम्बर, 1945

सं० एफ० 1-26/82-तकनीकी-5:—उपर्युक्त संकल्प में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे:—

पैराग्राफ 3 के उप पैरा (i), धारा (ग) में मद (i) और मद (ii) को मद (ii) और मद (iii) के रूप में लिखा जाये और मदों को इस प्रकार लिखने से पहले निम्नलिखित मद (i) को जोड़ा जाये:—

"सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय"

आदेश दिया जाता है कि इस संशोधन की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को परिचालित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संशोधन भारत सरकार के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये।

चन्द्र शेखर झा,
शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25th May 1983

No. 32-Pres/83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry (posthumous) to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the officer

Shri Lalbuanga Sailo, (Posthumous)
Sub-Inspector,
Special Branch, CID, Champhai,
Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th December, 1981, Sub-Inspector Lalbuanga Sailo of Special Branch and CID, returned from duty and reached his house in Mission Veng, around 8 p.m. He was accompanied by S. I. Vanlalchuanga of SB/CID Champhai and CID Constable Hrangliana. At about 2030 hrs., his door was knocked persistently and he was asked in Mizo to open the door. According to Mizo custom, the door had to be opened and wife of S.I. Sailo opened it. Three armed MNF miscreants barged in an immediately opened fire, seriously wounding S.I. Sailo and Constable Hrangliana. Both the policemen instantly reached and returned the fire. Totally unmindful of the injuries, S.I. Sailo and Hrangliana repeatedly fired back and wounded the assailants. S.I. Sailo did not allow his 6.35 mm pistol to be removed from him which appeared to be the bone of contention. S.I. Vanlalchuanga's 6.35 mm pistol developed a malfunction and he could not fire. Seeing that Constable Hrangliana had been hit in the heart region. S.I. Vanlalchuanga dragged him to a corner. In this process, the former's .38 revolver fell down which was picked up by one of the assailants and taken away.

Information of this incident reached S. P. Aizawl and S.P. CID at about 9 p.m., who rushed to the spot. S.I. Sailo and Constable Hrangliana, though bleeding profusely, were in their senses and were positive that they had mortally wounded one of the assailants, and injured others. Following a blood trail both the S.P. located the dead body of a uniformed miscreant belonging to MNF, at a distance of 400 yards from the place of occurance. He had been hit on the face and his body had been dragged all the way by his associates and later abandoned. Another minor blood trail was followed, but due to rain, it was lost. Extensive search of the area did not yield any results.

The two injured policemen were removed to the hospital. S.I. Sailo had received one bullet injury below right clavicle and another bullet had entered half inch above, his left nipple, pierced his lungs and lodged itself in the region of left scapula. He succumbed to his injuries (collapse of both lungs) and died at 0910 hrs on 12-12-1981. CID Constable Hrangliana was hit on his left nipple, the bullet having missed his heart by a fraction of an inch and came out through the ribs under the left armpit. S.I. Vanlalchuanga, fortunately, remained unhurt.

While one of the assailants, who was positively identified to be SS Sgt-Zoliana S/o Late Zama of Sairang, died almost instantly, his two associates are believed to have received multiple bullet injuries. Massive manhunt for them is on.

In his attempt to apprehend some hardened criminals and while helping his fellow policemen Shri Lalbuanga Sailo, S.I., exhibited conspicuous gallantry, courage and exceptional devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th December, 1981.

No. 33-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the officer

Shri Hrangliana,
Constable,
Special Branch, CID,
Champhai,
Mizoram

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th December 1981, Sub-Inspector Lalbuanga Sailo of Special Branch and CID, returned from duty and reached his house in Mission Veng, around 8.00 p.m. He was accompanied by SI Vanlalchuanga of SB/CID Champhai and CID Constable Hrangliana. At about 2030 hrs. his door was knocked persistently and he was asked in Mizo to open the door. According to Mizo custom, the door had to be opened and wife of S.I. Sailo opened it. Three armed MNF miscreants barged in and immediately opened fire, seriously wounding S.I. Sailo and Constable Hrangliana. Both the policemen instantly reacted and returned the fire. Totally unmindful of the injuries, S.I. Sailo and Hrangliana repeatedly fired back and wounded the assailants. S.I. Sailo did not allow his 6.35 mm pistol to be removed from him which appeared to be the bone of contention. S.I. Vanlalchuanga's 6.35 mm pistol developed a malfunction and he could not fire. Seeing that Constable Hrangliana had been hit in the heart region, S.I. Vanlalchuanga dragged him to a corner. In this process, the former's .38 revolver fell down which was picked up by one of the assailants and taken away.

Information of this incident reached S. P. Aizawl and S.P. CID at about 9.00 p.m., who rushed to the spot. S.I. Sailo and Constable Hrangliana, though bleeding profusely, were

in their senses and were positive that they had mortally wounded one of the assailants, and injured others. Following a blood trail both the S.Ps located the dead body of a uniformed miscreant belonging to MNF, at a distance of 400 yards from the place of occurance. He had been hit on the face and his body had been dragged all the way by his associates and later abandoned. Another minor blood trail was followed, but due to rain, it was lost. Extensive search of the area did not yield any results.

The two injured policemen were removed to the hospital. S.I. Sailo had received one bullet injury below right clavicle and another bullet had entered half inch above his left nipple, pierced his lungs and lodged itself in the region of left scapula. He succumbed to his injuries (collapse of both lungs) and died at 0910 hrs on 12-12-1981. CID Constable Hrangliana was hit on his left nipple, the bullet having missed his heart by a fraction on an inch and came out through the ribs under the left armpit. His condition started improving. S.I. Vanlalchuanga, fortunately, remained unhurt.

While one of the assailants, who was positively identified to be SS Sgt-Zoliana S/o Late Zama of Sairang, died almost instantly, his two associates are believed to have received multiple bullet injuries. Massive manhunt for them is on.

In his attempt to apprehend some hardened criminals and while helping his fellow policemen Shri Hrangliana, Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th December, 1981.

No. 34-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry (Posthumous) to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Suryakant Pandurang Chavan, (Posthumous)
Police Constable (No. 11006/S),
Greater Bombay Police Force,
Unarmed Branch,
Maharashtra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 19th December, 1981, at 8.00 p.m. P. I. (Crime) accompanied by PC 11006/S Suryakant Pandurang Chavan and the other members of the staff went out for making enquiries about Manoj and his other associates. At about 8.30 p.m., three criminals Manoj Kumar Totrya, Jujya alias Joseph and Venu Sheety were located by the Police party. Venu Sheety started running and he was chased by a Police Constable and P.I. (Crime) followed them in the car but the accused managed to escape in the hutments of Irla Road. Shri Chavan and three other constables accosted Manoj Kumar and Jujya who raised an alarm and hearing the alarm 7-8 persons armed with deadly weapons came out of Vaibhav Building. At this time Manoj Kumar started running away. Without wasting time or thinking of danger to his personal life and safety, Constable Chavan started chasing Manoj Kumar. He chased him to a distance of about 200-300 yards from the gate of Vaibhav Building where he was surrounded by other criminals and assaulted with deadly weapons. By the time P.I. (Crime) came over there with a revolver, the assailants ran away to the adjoining hutment.

Constable Chavan was removed to the hospital where he succumbed to the injuries sustained by him.

In his attempt to apprehend some hardened criminals Shri Suryakant Pandurang Chavan exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th December, 1981.

No. 35-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Gopal Singh,

Sub-Inspector, Civil Police,

Station Officer, Bilgram,

District Hardoi,

Uttar Pradesh.

Shri Radhey Shyam,

Constable,

Poloce Station, Bilgram,

District Hardoi,

Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 30th October, 1979, notorious dacoit Pyare Yadava was planning to commit a dacoity and murder of Tilak Singh and Baboo Ram in their houses in village Paidapur, P. S. Bilgram, District Hardoi. On receiving information about the assembly of gang Leader Pyare Yadava and his members in village Paidapur, Shri Gopal Singh collected the available police force and reached the spot immediately at about 15.30 hours. He devided the force into two parties. The first party was led by Shri Gopal Singh and the second party by S. I. Sri Rama Shankar Pande. The whole gang was surrounded by the Police. The gang leader Pyare Yadava was on the horse back. On noticing the sudden presence of the police, Pyare Yadava began to run away on his horse along with other members of his gang. As they were to cross the pucca road, some villagers also joined the police with their licensed fire-arms. The police and public jointly chased the dacoits. The dacoits crossed the river Garra and at some distance, the dacoits stopped in the village Punnapurwa in the hutment of Siya Ram Chamar to take water. Sri Gopal Singh laid an ambush at the spot. He again challenged the dacoits and warned them to surrender. The gang leader Pyare Yadava and the members of the gang paid no heed to the challenge of the police but started indiscriminate firing at the police. The Police also opened fire in self-defence. This exchange of fire continued for about half an hour. Sri Gopal Singh and Constable Radhey Shyam proceeded towards the dacoits without caring for their personal lives. As soon as they reached near the dacoits, the gang leader Pyare Yadava hurled two hand grenades on them. Constable Radhey Shyam sustained serious bomb injuries and fell down. He was sent to hospital. SI Gopal Singh also suspened injuries in his left hand. Seeing the injuries to the Policemen, Sri Gopal Singh stepped up the firing. The gang leader Pyare Yadava and two more miscreants suddenly ran away. They sustained bullet injuries and fell down at some distance and died. The other remaining two dacoits were chased by the Police. One of them was also shot dead. The dead bodies of the dacoits were later on identified as (1) Pyare Yadava, (2) Nanhe and (3) Raj Bahadur. The fourth dacoit Sheo Kumar alias Pande was also found dead in Sugar-cane field on 1-11-1979.

In the encounter with the dacoits, Shri Gopal Singh Sub-Inspector and Constable Radhey Shyam exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th October, 1979.

The 30th May 1983

No. 36-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry (Posthumous) to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Suraj Pal Singh, (Posthumous)
Naik, XXXVII Bn. PAC UP,
Kanpur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 9th January, 1981, while in search of Mustaqim gang, Shri Narain Singh Rana, SO Jalalpur, District Hamirpur, came to know of the presence of this hardened criminal in his own house alongwith some of his associates, all armed, and their likely plan to commit further heinous offences. Shri Rana immediately rushed to the house of this criminal in village Harsandi alongwith available Civil Police, PAC, and some members of the Public. 3-4 persons, including Shyam Babu, armed with fire-arms, were seen outside the house. On seeing the Police Party, the culprits rushed to the house of Shyam Babu and opened fire from inside at the Police party. When some of the culprits jumped from the roof and tried to escape; Shri Rana succeeded in snatching away a rifle from one of them who managed to escape. Shyam Babu had taken his position in the house and continued firing from inside house through the holes which he had made in the walls all around for the purpose. Shyam Babu was thus well entrenched inside his house and could keep on firing at the Police without the risk of getting injured. Having no other alternative Naik Suraj Pal Singh of XXXVII Bn PAC, Kanpur, at the risk of his life crawled up to the front, sustained gun shot injuries and died in an attempt to liquidate dreaded dacoits.

Shri Suraj Pal Singh thus displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th January, 1981.

No. 37-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Krishnakant Vishwanath Kadam,
Police Constable,
Dadar Police Station,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In view of the assault cases and tension prevailing in the area, a tight vigil was maintained in Adarsha Nagar and its surrounding areas. On the 31st October, 1980, 10 Constables from the Detection Squad of Dadar Police Station took position in batches in Mahakali Nagar hutments and Adarsha Nagar area with a view to nab the miscreants who may come to create trouble in the locality. PC No. 11422/F, Krishnakant Vishwanath Kadam along with P.C. No. 4120/F, V. V. Bagwe and P.C. No. 10949/F Arun S. Khanvilkar took position in Mahakali Nagar hutments while the rest of the Constables stationed themselves in Adarsha Nagar ground. At about 9.45 p.m. a group of about 40 boys from Bhat chawl armed with deadly weapons like swords, gupties, chopper knife, pipes, iron-rods, hockey sticks and bottles, was seen proceeding surreptitiously towards Adarsha Nagar through Mahakali Nagar hutments. They halted near the ground, sensing the presence of police on the ground. P. C. Kadam and two other constables, who had taken position in Mahakali Nagar hutments, challenged the miscreants. The miscreants first attacked them with bottles in order to deter them. P.C. Kadam and the other two police Constables, however, did not flinch but stood to face the violent mob. Seeing this the miscreants turned on these three policemen with swords, pipes, iron rods etc. One of the miscreants rushed at P.C. Kadam and hit him with sword on left side of his chest. P. C. Bagwe drew his revolver to prevent the attack but one of the miscreants hit him with iron rod on his hand and prevented him from opening fire. Other miscreants who had surrounded P.C. Arun Khanvilkar also hit him with iron rod. In the meanwhile the person who dealt a deadly blow on the chest of P.C. Kadam again raised his sword to hit the P.C. on the head. Although P.C. Kadam was grievously injured, he showed a great presence of mind and courage. He drew his service revolver and fired two rounds. This timely action on the part of P.C. Kadam not only saved his life but also that of his colleagues. Firing had the desired effect on the miscreants who ran away from the spot. In this firing the person, who hit P.C. Kadam with sword, succumed to his injuries.

P.C. Krishnakant Kadam sustained fracture of two ribs in the attack and was hospitalized.

Police Constable Krishnakant Vishwanath Kadam thus displayed conspicuous gallantry, presence of mind, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st October, 1980.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi, the 17th May 1983

ORDER

No. 27(26)83-CL-II.—In pursuance of Clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers in the Department of Company Affairs for the purposes of the said section 209-A :—

1. Shri D. J. Biswas, Joint Director, Inspection.
2. Shri M. G. Swaminathan, Deputy Director, Inspection.

2. The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri M. G. Swaminathan as Company Accountant issued vide order No. 27(26)81-CL-II, dated the 7th July 1981.

K. R. A. N. IYER
Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 25th May 1983

RESOLUTION

No. 1(1)/83-SSI Bd.—In this office Resolution No. 1(1)/83 SSI Bd. dated the 6th May, 1983 re-constituting the Small Scale Industries Board, the following may be added as Serial No. 72 :

S. No. 72

Shri Rajendra Khaitan,
W-58, Greater Kailash Part II,
New Delhi-110048.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 27th May 1983

RESOLUTION

No. 1(1)/83-SSI BD.—In this office Resolution No. 1(1)/83-SSI BD, dated the 6th May, 1983 re-constituting the Small Scale Industries Board, the following may be added as Serial No. 73 :—

S. No. 73 :

SHRI SALABH SHARMA
President,
Small Industries Association,
Govindpura,
BHOPAL.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. D. VERMA, Director (SSI BD.)
& Economic Adviser.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th April 1983

No. F.10(16)/82-EDP.—The President is pleased to constitute the following Selection Committee for National Awards to Small Scale Entrepreneurs :

CHAIRMAN

1. Development Commissioner, Small Scale Industries & Ex-Officio Additional Secretary, Ministry of Industry.

MEMBERS

2. Secretary, Deptt. of Industry of a State Government to be nominated by Ministry of Industry.
3. Secretary, Deptt. of Industry of a State Government to be nominated by Ministry of Industry.
4. A representative of Reserve Bank of India or Industrial Development Bank of India or a nationalised bank to be nominated by the Ministry of Industry.
5. A representative of National Level Associaton/Federation of Small Scale Industries to be nominated by the Ministry of Industry.

H. L. JUNEJA
Deputy Director (Admn.)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st May 1983

RESOLUTION

No. E. 11017/3/80-O.L Implementation.—In this Ministry's Resolution No. E.11017/3/80-O.L. Implementation, dated the 8th September, 1982 regarding reconstitution of Hindi Advisory Commitee for the Ministry of Health and Family Welfare for the existing entry at serial No. 13, the following entry may be substituted—

13. Shri M. Maddanna, Member, Rajya Sabha—Member.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments & Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues and all the Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SUDHAKAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi-110001, the 30th April 1983

RESOLUTION

Subject :—Establishment of an All India Council for Technical Education.

Reference :—Resolution No. F.16-10/44-E.III, dated the 30th November 1945.

No. F.1-26/82-T.5.—The following amendments shall be made to the Resolution cited above :—

In paragraph 3, sub-para (i), clause (c), the item (i) and item (ii) be renumbered as item (ii) and item (iii) and before the items so renumbered add item (Ii) as follows :—

"Secretary, Ministry of Education and Culture."

ORDERED that a copy of this amendment be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and all Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the amendment be published in the Gazette of India for information.

C. S. JHA
Educational Adviser (T)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983.